न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र 14(4) सख्या/05/2025

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

..........प्रार्थी0

बनाम

1–चरनसिंह पुत्र परभाती जाति कोली निवासी पंजीबी मौहल्ला कुम्हेर जिला डीग
2–ढकेली पत्नि बदनसिह निवासी छापर मौहल्ला सिरोरी गेट, कुम्हेर जिला डीग,

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना– पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू –आंबटन नियम 1970),

———————

उपस्थित :–

1–पैरोकार सरकार, प्रार्थी,

निर्णय दिनांक 19.9.2025

प्रार्थी तहसीलदार नदबई ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) कृषि प्रयाजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 विरुद्व अप्रार्थी0 इस आश्य का पेश किया है, संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है जमांबदी संवत् 2073–76 ग्रांम अटारी तहसील के खाता संख्या 383 में आराजी खसरा नम्बर 772/2326 रकवा 0.04 है0 व खसरा नम्बर 781/0.16 है0, किस्म भूमि चाही सोयम पर चरनसिह पुत्र परभाती हि.1/2, ढकेली पुत्री परभाती हि. 1/2 जाति कोली सा. कुम्हेर गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है।. सम्वत् 2060 मिलान क्षेत्रफल हाल खसरा नम्बर 772/0.10 है0 का गत खसरा नम्बर 1203 मि. रकवा 8 विस्वा , खसरा नम्बर 781 रकवा 0.16 है0 का गत खसरा नम्बर 1287 मि. रकवा 13 विस्वा का साबित खसरा नं. 1042 रकवा 16 बीघा 7 विस्वा एवं खसरा नम्बर 1287 रकवा 3 बीघा 1 विस्वा का साबिक खसरा नं. 1123 रकवा 4 वीघा 16 विस्वा है।

आवंटन आदेश दिनांक 29.9.1972 को आवंटन होने पर खसरा नं. 1123 में रकवा 1 वीघा 6 विस्वा, एवं खसरा नमं. 1042 मि0 रकवा 5 विस्वा किता 2 रकवा 1 वीघा 11 विस्वा पर जरिये नामान्तकरण संख्या 10 दिनांक 10.9.1976 से परभाती पुत्र गुली कौम कोली सा. टोहिला गेर खातेदार दर्ज हुआ है। मिसल सम्वत 2028 के अनुसार उक्त आवंटित आराजी भूमि राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज है। आवंटी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है और ना ही आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की है। विवादित आराजी चारागाह है जो प्रतिवंधित श्रेणी में आती है जिसका आवंटन नहीं हो सकता है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम

........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

14(4) स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 29.9.1972 में आवंटी परभाती पुत्र गुली कौम कोली सा. टोहिला को किये गये आवंटन को निरस्त किया जाकर आराजी को किस्म चारागाह घोषित करने की प्रार्थना की है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी0 की तलबी की गई। प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थीगण व्यक्तिशः उपस्थित आये, अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से कोई जबाब पेश नहीं किया और ना ही वक्त बहस नियत दिनांक को उपस्थित आया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जबाब पेश किया गया जो शामिल मिसिल किया गया। वक्त बहस नियत तरीख को अप्रार्थीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। प्रार्थी पेरोकार सरकार की बहस सुनी गईं

प्रार्थी पेरोकार ने प्रार्थना पत्र 14(4) में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया कि आवंटी अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन की शर्तों का पालन नहीं किया है। अप्रार्थीगण का विवादित आराजी पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। पैरोकार सरकार का यह भी कहना है कि वक्त आवंटन विवादित आराजी चारागाह थी और ऐसी भूमियॉ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी में आती हैं जिनका आवंटन नहीं किया जा सकता है। पैरोकार सरकार का कहना है कि विवादित आराजी चारागाह है इस पर किसी प्रकार से गैर खातेदारी या खातेदारी नहीं दी जा सकती है। पैरोकार सरकार का तर्क है कि अप्रार्थीया ने विवादित आवंटित आराजी खसरा नम्बरान पर गैर खातेदारी से खातेदार दर्ज किये जाने के लिये जो दावा ए.सी.एम. नदबई न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट पेश किया गया है। विवादित आराजी के गत आराजी खसरा नम्बर 1203 मि. एवं खसरा नम्बर 1287 किता 2 रकवा 16 विस्वा राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज है। ऐसी भूमियों का आंवटन नियमों के खिलाफ है। प्रार्थीया किसी प्रकार से खातेदारी अधिकार पाने की हकदार नहीं है। इसलिये विचाराधीन दावा भी इसी विनाय पर चलने योग्य नहीं रहता है। चारागाह भूमि का किया गया आवंटन आदेश काबिल खारिज के रहता है। पैरोकार सरकार ने अन्त में प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया। पैरोकार सरकार के कथनों पर गौर किया। पत्रावली में उपलब्ध अप्रार्थीया ढकेली के जबाब का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया ने आवंटित विवादित आराजी पर गैरखातेदारी/खातेदारी प्राप्त करने के लिये एक दावा सहायक कलेक्टर न्यायालय नदबई में पेश किया हुआ है जो न्यायालय में विचाराधीन है। आवंटन आदेश दिनांक 29.9.1972 का अवलोकन किया गया ।

आवंटन आदेश दिनांक 29.9.1972 के कम संख्या 12 पर परभाती पुत्र गुल्ली सा. टोहिला तहसील नदबई को आराजी खसरा नम्बर 1123 मि. रकवा 1 बीघा 6 विस्वा 1042 मि. रकवा 5 विस्वा का आवंटन किया गया है। नामान्तकरण संख्या 10 दिनांक 10.9.76 के जो कि आवंटन आदेश की पालना में आवंटी परभाती पुत्र

........3

जिला कलक्टर
भरतपुर

गुल्ली के हक में गैरखातेदारी का स्वीकार किया गया है। इस नामान्तकरण के कॉलम संख्या 5 व 6 मे दर्ज गत आराजी खसरा नम्बर 1123 मि. रकवा 1 बीघा 6 विस्वा 1042 मि. रकवा 5 विस्वा की भूमि किस्म सिवायचक चारागाह दर्ज है। यानि विवादित आराजी चारागाह राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। इसी नामान्तकरण के कॉलम संख्या 11 में मुताविक आवंटन आदेश गत आराजी खसरा नम्बरान से बने हाल खसरा नम्बर 1287 मि. रकवा 13 विस्वा 1203 मि. रकवा 3 विस्वा पर आवंटी परभाती पुत्र गुल्ली आवंटी गैरखातेदार दर्ज किया गया है। जमाबन्दी सम्वत् 2045 ग्रांम अटारी में अन्य खसरा नम्बरान के साथ विवादित आराजी खसरा नम्बर 1203 एवं आराजी खसरा 1287 दर्ज हैं उक्त जमाबन्दी कॉलम संख्या 5 में भूमि किस्म चारागाह दर्ज है। वर्तमान जमबान्दी सम्वत् 2073–76 ग्रांम अटारी में गत खसरा नम्बरान से बने हाल खसरा नम्बर 772/2326 रकवा 0.040 एवं खसरा नम्र 781/0.1600 की किस्म भूमि चाही सोयम पर अप्रार्थीगण को गैर खातेदार दर्ज किया हुआ है। वक्त आवंटन विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज थी, भूमि की किस्म परिवर्तन करने का अधिकारी उपखण्ड अधिकारी को नहीं है। उपखण्ड अधिकारी नदबई द्वारा दिनांक 29.9.1972 को किया गया आवंटन नियमों के विपरीत होने से काबिल निरस्ती के रहता है। अतः आवंटन आदेश दिनांक 29.9.1972 प्रचलित कानून के विपरीत होने से क्रम संख्या 12 पर दर्ज आवंटी परभाती पुत्र गुल्ली कोम कोली को किया गया आवंटन निरस्त योग्य रहता है तथा आवंटी की मृत्यू के पश्चात उसके वारिसान के नाम खोला गया कोई भी नामान्तकरण शून्य रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 14(4) स्वीकार किया जाता है। आवंटन आदेश दिनांक 29.9.1972 में क्रम संख्या 12 पर दर्ज आवंटी परभाती पुत्र गुल्ली कोम कोली ,निवासी टोहिला का आवंटन निरस्त किया जाता है। इसके बाद विवादित आराजी पर किसी प्रकार से प्राप्त की गई गैर खातेदारी के स्वीकार किये गये नामान्तकरण शुन्य होने से निरस्त किये जाते है। विवादित आराजी पर हो रहे अप्रार्थीगण गैर खातेदारी इन्द्राज कलमजन किये जाकर विवादित आराजी पूर्वत चारागाह राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे। निणर्य की प्रति तहसीलदार नदबई को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.9.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर